PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Navbharat Times, Delhi
Wednesday 3rd June 2015, Page: 17
Width: 8.23 cms, Height: 15.51 cms, a4, Ref: pmin.2015-06-03.47.122

पेट बॉटल्स में दवाओं की पैकिंग पर छिड़ी जंग

■ प्रमुख संवाददाता, नई दिल्ली

प्लास्टिक और पॉलीएथिलीन टेरेथैलेट (पेट) बॉटल्स में लिक्विड दवाएं पैक करने के मसले पर एक नई जंग छिड़ गई है। सरकार इस मसले पर विचार करने के लिए एक पैनल के गठन के बाद अब एक उच्च स्तरीय समिति बनाने पर विचार कर रही है। सरकार ने पिछले साल सितंबर में एक नोटिफिकेशन जारी कर इन बॉटल्स में दवाएं पैक करने पर रोक लगाने की मंशा जताई थी और विभिन्न पक्षों से इस पर राय मांगी थी। एक गैर सरकारी संगठन ने सरकार से इस बाबत अपील की थी। उसका कहना है कि ये बॉटल्स सेहत और पर्यावरण, दोनों के लिए खतरनाक हैं। दवा उद्योग इस मांग से सहमत नहीं है। उसका कहना है कि इन बॉटल्स पर रोक लगाने से उसके कारोबार पर गंभीर असर पड़ेगा।

हाई लेवल कमिटी बना सकती है सरकार

गौरतलब है कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (डीटीएबी) ने पिछले साल प्लास्टिक और पेट बॉटल्स में दवाएं बेचने पर रोक लगाने की सिफारिश की थी और इस बाबत एक पैनल के गठन का सुझाव दिया था। इस पैनल ने अपनी सिफारिश में एनजीओ की आपत्तियों को जायज मानते हुए सरकार से प्लास्टिक और पेट बॉटल्स में दवाएं बेचने पर रोक लगाने की सिफारिश की।

दूसरी ओर, दवा कंपनियों ने सरकार से कहा है कि वह इस मामले में जल्दबाजी में कोई फैसला न ले और इस बाबत विस्तृत स्टडी कराए। देहरादून स्थित एनजीओ ने सरकार से कहा है कि पेट बॉटल्स में पाए जाने वाले थैलेट्स स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। शरीर में इनके प्रवेश करने से हॉर्मोन का रिसाव करने वाली ग्लैंड्स के कामकाज पर बुरा असर पड़ता है।

GOM.

3